



आपदा जोखमि न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022

प्रलमिस के लयि:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, यूएन, यूएनजीए, सेंडाई फरेमवरक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलस, ग्रीनहाउस गैस ।

मेन्स के लयि:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, डीआरआर में चुनौतियौं, आपदा जोखमि में जलवायु परिवर्तन की भूमिका, संबंधित सरकारी पहल ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में आपदा जोखमि न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022 (GP DRR 2022) इंडोनेशिया में आयोजित कयि गया ।

- परिणाम को बाली एजेंडा फॉर रजिलियन्स में संक्षेप में प्रस्तुत कयि गया था ।

वैश्विक मंच, 2022:

- थीम:
 - जोखमि से लचीलापन तक: कोवडि -19 परिवर्तित दुनिया में सभी हेतु सतत विकास की ओर ।
- परचिय:
 - यह कोवडि महामारी के बाद से आपदा जोखमि में कमी (DRR) हेतु अभिकर्ताओं की पहली वैश्विक सभा थी, जो UNFCCC COP26 और [UNFCCC COP27 वारता](#) के बीच में ही असफल हो गई ।
 - यह एक द्विवार्षिक बहु-हतिधारक मंच है, जो [आपदा जोखमि न्यूनीकरण \(2015-2030\) के लयि सेंडाई फरेमवरक](#) की नगिरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण घटक है ।
 - [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) इसे मान्यता देती है ।

DRR 2022 हेतु वैश्विक मंच का महत्त्व:

- आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR) के लयि पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे ।
- सतत विकास और [सतत विकास लक्ष्यौं \(SDG\)](#) के लयि 2030 एजेंडा को प्राप्त करने हेतु DRR विकास एवं वृत्त नीतियौं, कानून तथा योजनाओं के मूल में होना चाहयि ।
- वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर उनके शमन से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप भयावह घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है ।
- DRR और [जलवायु परिवर्तन](#) अनुकूलन का सामान्य उद्देश्य भेद्यता को कम करना और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करना है ।

लचीलेपन के नरिमाण हेतु GP 2022 सुझाव

- स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, सरकारी समर्थन और कानून एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के सख्त परिवर्तन के लयि अधिक संसाधन:
 - यह केंद्र और राज्य स्तरों पर अधिक-से-अधिक बजटीय आवंटन, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधिमानदंडों में संशोधन की मांग करता है ।
- सामुदायिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए लचीलापन और स्थायी आजीविका के नरिमाण पर अधिक ध्यान देना:
 - देश में आपदा संभावित क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का नरिमाण करने की आवश्यकता है लेकिन आजीविका रकिवरी (जलवायु-लचीला, टिकाऊ आजीविका) और तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने की कीमत पर नहीं ।
- राहत और पुनर्वास प्रयासों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता:
 - पारदर्शिता बोरडों को शामिल करने के लयि पारदर्शिता तंत्र को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लागत, गुणवत्ता

और राहत मदों की मात्रा, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं नागरिकों की रपौर्ट का उल्लेख किया गया है।

- सरकार और नागरिक समाज दोनों के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी राहत कार्यों में इसके मानक अभ्यास की आवश्यकता है।

■ अन्य सुझाव:

- दुनिया के अन्य देश **कोविड-19** के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
 - सबसे कमज़ोर लोगों और उनकी जागरूकता, लामबंदी के साथ-साथ पुनर्निर्माण में नेतृत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अपने सभी नविशों में DRR को शामिल कर नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये सामुदायिक स्तर पर पर्याप्त आधार होना चाहिये।
- महिलाएँ, दवियांग, उपेक्षित वृद्ध, युद्ध और संघर्षों से प्रभावित लोग तथा **अनौपचारिक श्रम** कुछ ऐसे कमज़ोर समूह वर्ग हैं, जिनमें संवेदनशीलता के साथ लामबंद करने, नेतृत्व और उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण:

■ वैश्विक स्तर पर:

◦ **सैंडाई फरेमवरक:**

- इसे वर्ष 2015 में **सैंडाई, मियागी, जापान** में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
- **सैंडाई फरेमवरक** हयोगो फरेमवरक फॉर एक्शन (HFA) का एक उत्तराधिकारी उपाय है।
- **वर्तमान ढाँचा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों** के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी और जैविक खतरों तथा जोखिमों के कारण छोटे एवं बड़े पैमाने पर व अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर साथ ही साथ सभी क्षेत्रों के विकास में **आपदा जोखिम के प्रबंधन का मार्गदर्शन** करना है।

◦ **जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS):**

- **वर्षिष जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS)** विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत एक पहल है, जो अल्प विकसित देशों (LDCs) तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) में मौसम की चेतावनी, जोखिम की जानकारी तक पहुँच के माध्यम से जीवन, संपत्ति एवं आजीविका की रक्षा करती है।
- **जलवायु सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्षेत्रीय मार्गदर्शिका:**
 - यह प्रासंगिक क्षेत्र में देश की ज़रूरतों और साक्ष्य-आधारित अनुभवों का अवलोकन प्रदान करता है।
 - इसका उद्देश्य उच्च प्रभाव के अवसरों की पहचान करना, प्रत्येक क्षेत्र में नविश में बदलाव करना, GCF के लिये प्रस्ताव विकास का मार्गदर्शन करना, इसकी पहली पुनःपूर्ति अवधि 2020-2023 के दौरान अपने नविश मानदंड के अनुकूल करना है।

■ भारत की पहल:

◦ **कोलसिन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी (CDRIS):**

- CDRIS राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यकर्ताओं, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, नज्दी क्षेत्र, शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये बुनियादी ढाँचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

◦ **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):**

- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा से निपटने एवं संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।
- यह आपदाओं के लिये समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं व दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ